क्रम-संख्या—44

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू / एन०पी०–91 / 2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 04 मार्च, 2011
फाल्गुन 13, 1932 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 308/79-वि–1-11-1(क)4–2011

लखनऊ, 04 मार्च, 2011

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी विधेयक, 2011 पर दिनांक 03 मार्च, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने तथा उससे संबंधित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 14 जनवरी, 2011 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं

2—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में :—

(क) "पदाभिहित अधिकारी" का तात्पर्य, धारा 3 के अधीन सेवा प्रदान करने के लिए इस रूप में अधिसूचित किसी अधिकारी से है;

(ख) "पात्र व्यक्ति" का तात्पर्य अधिसूचित सेवा के लिए पात्र किसी व्यक्ति से है;

(ग) "प्रथम अपील अधिकारी" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किसी अधिकारी से है;

(घ) "सेवा का अधिकार" का तात्पर्य नियत समय सीमा के भीतर धारा 4 के अधीन सेवा प्राप्त करने के अधिकार से है;

(ङ) "सेवा" का तात्पर्य, धारा 3 के अधीन अधिसूचित किसी सेवा से है;

(च) "द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किसी अधिकारी से है;

(छ) "नियत समय सीमा" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान करने अथवा प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील का विनिश्चय करने के अधिकतम समय से हैं।

सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी तथा, नियत समय सीमाओं की अधिसूचना

3—राज्य सरकार, समय-समय पर सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी तथा नियत समय सीमा को अधिसूचित कर सकेगी।

नियत समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार

4—पदाभिहित अधिकारी धारा 3 के अधीन अधिसूचित सेवा पात्र व्यक्ति को उपलब्ध करायेगा।

नियत समय सीमा में सेवा उपलब्ध कराना

5—(1) नियत समय सीमा, अधिसूचित सेवा के लिए अपेक्षित आवेदन, पदाभिहित अधिकारी या उसके अधीनस्थ आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, प्रस्तुत करने के दिनांक से प्रारम्भ होगी। ऐसे आवेदन की सम्यक् रूप से अभिस्वीकृति दी जायेगी।

(2) पदाभिहित अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर समय सीमा के भीतर या तो सेवा उपलब्ध करायेगा या आवेदन अस्वीकृत करेगा और आवेदन अस्वीकृत करने के मामले में वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा और आवेदक को सूचित करेगा।

अपील

6—(1) कोई व्यक्ति, जिसका आवेदन धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अस्वीकृत कर दिया जाता है, अथवा उसे नियत समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं करायी जाती है, आवेदन अस्वीकृत होने के दिनांक से अथवा नियत समय सीमा के अवसान के तीस दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकता है:

परन्तु प्रथम अपील अधिकारी तीस दिनों की अवधि के अवसान के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रविरत किया गया था।

(2) प्रथम अपील अधिकारी पदाभिहित अधिकारी को आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सेवा उपलब्ध कराने का आदेश दे सकेगा या अपील को अस्वीकार कर सकता है।

(3) प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय के दिनांक से 60 दिनों के भीतर की जा सकेगी:

परन्तु द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी, 60 दिनों की अवधि के अवसान के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकता है। यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रविरत किया गया था।

(4)–(क) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी पदाभिहित अधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकता है, जैसा कि वह विनिर्दिष्ट करे या अपील को अस्वीकार कर सकता है।

(ख) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी सेवा उपलब्ध कराने के आदेश के साथ धारा 7 के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकता है।

(5)–(क) यथास्थिति यदि पदाभिहित अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की अभिस्वीकृति नहीं देता है, तो आवेदक प्रथम अपील अधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इस आवेदन का विनिश्चय प्रथम अपील की रीति से किया जायेगा।

(ख) यदि पदाभिहित अधिकारी उपधारा (2) के अधीन सेवा प्रदान करने के आदेश का अनुपालन नहीं करता है, तो आवेदक द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। इस आवेदन का विनिश्चय प्रथम अपील की रीति से किया जायेगा।

(6) प्रथम अपील अधिकारी तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को, इस धारा के अधीन अपील का विनिश्चय करते समय निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में वही शक्तियां होंगी, जो कि किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5, सन् 1908) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात :–

(क) दस्तावेजों को पेश करने तथा निरीक्षण किए जाने की अपेक्षा करना;

(ख) पदाभिहित अधिकारी तथा अपीलार्थी को सुनवाई के लिए समन जारी करना; और

(ग) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय।

7–(1) (क) जहां द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की यह राय हो कि पदाभिहित अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में विफल रहा है, तो वह एकमुश्त शास्ति अधिरोपित कर सकता है, जो 500 रुपये से अन्यून तथा 5000 रुपये से अनधिक होगी। शास्ति

(ख) जहां द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की यह राय हो कि पदाभिहित अधिकारी ने सेवा प्रदान करने में विलम्ब किया है तो वह पदाभिहित अधिकारी पर ऐसे विलम्ब के लिए 250 रुपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो 5000 रुपये से अनधिक होगी:

परन्तु पदाभिहित अधिकारी को, उस पर शास्ति अधिरोपित किये जाने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

(2) जहां द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की यह राय हो कि प्रथम अपील अधिकारी बिना किसी पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से नियत समय के भीतर अपील का विनिश्चय करने में विफल रहा है तो वह प्रथम अपील अधिकारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकता है, जो 500 रुपये से अन्यून तथा 5000 रुपये से अनधिक होगी:

परन्तु प्रथम अपील अधिकारी को उस पर शास्ति अधिरोपित किये जाने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

(3) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी यथास्थिति उपधारा (1) या (2) या दोनों के अधीन अधिरोपित शास्ति में से प्रतिकर के रूप में ऐसी धनराशि, जो अधिरोपित शास्ति से अधिक नहीं होगी, अपीलार्थी को प्रदान करने का आदेश दे सकता है।

(4) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का यदि समाधान हो जाता है कि पदाभिहित अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्तियुक्त कारण से इस अधिनियम के अधीन सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा है तो वह उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति कर सकता है।

पुनरीक्षण

8—इस अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित पदाभिहित अधिकारी अथवा प्रथम अपील अधिकारी उस आदेश के दिनांक से 60 दिन की अवधि के भीतर पुनरीक्षण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नाम निर्दिष्ट ऐसे अधिकारी को आवेदन कर सकता है जो यथाविहित रीति के अनुसार उस आवेदन पत्र का निस्तारण करेगा:

परन्तु राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त आवेदन पर्याप्त कारण से समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका था, तो वह ऐसे आवेदन को 60 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी ग्रहण कर सकता है।

सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण

9—इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति

10—राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बना सकती है।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

11—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकती है जो कठिनाई दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा किये गये उपबन्ध उसी रूप में प्रभावी होंगे मानो इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हों और ऐसा कोई आदेश किया जा सकता है, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्ववर्ती किसी दिनांक से भूतलक्षी न हो।

(3) उपधारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश को उसके किये जाने के यथाशक्य शीघ्र पश्चात् राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23—क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी रूप में लागू होंगे जैसा कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते है।

निरसन एवं अपवाद

12—(1) उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अध्यादेश, 2011 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1, सन् 2011

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जा रही लोकसेवाओं को प्रदान करने के लिए सामान्यतया कोई समय—सीमा नियत नहीं की गयी थी और न तो निर्धारित समय सीमा के भीतर ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए समुचित रूप से सक्षम अधिकारी पदाभिहित किये गये थे और न ही उनके उत्तरदायित्व नियत किये गये थे, जिसके कारण राज्य की जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि राज्य की जनता को नियत समय—सीमा के भीतर सेवायें प्रदान करने तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए विधि बनायी जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को लागू करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव राज्यपाल द्वारा दिनांक 13 जनवरी, 2011 को उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अध्यादेश, 2011 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2011) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
के०के० शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 308(2)/LXXIX-V-1–11-1 (Ka) 4-2011
Dated Lucknow, March 04, 2011

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 2011) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 03, 2011.

THE UTTAR PRADESH JANHIT GUARANTEE ADHINIYAM, 2011

(U.P. ACT NO. 3 OF 2011)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to provide for the delivery of services to the people of the State within stipulated time limit and for matters connected therewith and incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty Second Year of the Republic of India as follows :–

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on January 14, 2011.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires—

(a) "designated officer" means an officer notified as such for providing the service under section 3;

(b) "eligible person" means a person who is eligible for notified services;

(c) "first appeal officer" means an officer who is notified as such under section 3;

(d) "right to service" means right to obtain the service within the stipulated time limit under section 4;

(e) "service" means any service notified under section 3;

(f) "second appellate authority" means an officer who is notified as such under section 3;

(g) "stipulated time limit" means maximum time to provide the service by the designated officer or to decide the appeal by the first appeal officer as notified under section 3.

Notification of services, designated, officers first appeal officers, second appellate authority and stipulated time limits

3. The State Government may, from time to time, notify the services, designated officers, first appeal officers, second appellate authority and stipulated time limits therefor.

Right to obtain service within stipulated time limit.

4. The designated officer shall provide the service notified under section 3 to the eligible person.

Providing services in stipulated time limit.

5. (1) Stipulated time limit shall start from the date when required application for notified service is submitted to the designated officer or to a person subordinate to him authorized to receive the application. Such application shall be duly acknowledged.

(2) The designated officer on receipt of an application under sub-section (1) shall within the stipulated time limit either provide service or reject the application and in case of rejection of application, he shall record the reasons in writing and intimate the applicant.

Appeal

6. (1) Any person, whose application is rejected under sub-section (2) of section 5 or who is not provided with the service within the stipulated time limit, may file an appeal to the first appeal officer within thirty days from the date of rejection of application or the expiry of the stipulated time limit:

Provided that the first appeal officer may admit the appeal after the expiry of the period of thirty days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) The first appeal officer may order to the designated officer to provide the service within the period specified in the order or may reject the appeal.

(3) A second appeal against the decision of the first appeal officer shall lie to the second appellate authority within 60 days from the date on which the decision was made:

Provided that the second appellate authority may admit the appeal after the expiry of the period of 60 days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(4) *(a)* The second appellate authority may order to the designated officer to provide the service within such period as he may specify or may reject the appeal.

(b) The second appellate authority, may along with the order to provide services impose penalty according to the provisions of section 7.

(5) *(a)* If the designated officer or the authorized officer as the case may be does not acknowledge the application under sub-section (1) of section 5, then the applicant may submit an application directly to the first appeal officer. This application shall be disposed of in the manner of first appeal.

(b) If the designated officer does not comply with the order of providing the service under sub-section (2), then the applicant may submit an application directly to the second appellate authority. This application shall be disposed of in the manner of first appeal.

(6) The first appeal officer and second appellate authority shall while deciding an appeal under this section, have the same powers as are vested in civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act no. 5 of 1908) in respect of the following matters, namely:–

(a) requiring the production and inspection of documents;

(b) issuing summons for hearing to the designated officer and appellant; and;

(c) any other matter which may be prescribed.

Penalty

7. (1) (a) Where the second appellate authority is of the opinion that the designated officer has failed to provide service without sufficient and reasonable cause, then he may impose lump sum penalty which shall not be less than 500 rupees and not more than 5000 rupees.

(b) Where the second appellate authority is of the opinion that the designated officer has caused delay in providing the service, then he may impose a penalty at the rate of 250 rupees per day for such delay on the designated officer, which shall not be more than 5000 rupees:

Provided that the designated officer shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him.

(2) Where the second appellate authority is of the opinion that the first appeal officer has failed to decide the appeal within the stipulated time limit without any sufficient and reasonable cause, then he may impose a penalty on first appeal officer which shall not be less than 500 rupees and not more than 5000 rupees:

Provided that the first appeal officer shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him.

(3) The second appellate authority may order to give such amount as compensation to the appellant from the penalty imposed under sub-section (1) or (2) or both, as the case may be, which shall not exceed to the imposed penalty.

(4) The second appellate authority, if it is satisfied that the designated officer or the first appeal officer has failed to discharge the duties assigned to him under this Act without sufficient and reasonable cause, may recommend disciplinary action against him under the service rules applicable to him.

Revision

8. The designated officer or first appeal officer aggrieved by any order of second appellate authority in respect of imposing penalty under this Act, may make an application for revision to the officer nominated by notification by the Sate Government within the period of 60 days from the date of that order, who shall dispose of the application in such manner as may be prescribed:

Provided that the officer nominated by the State Government may entertain the application after the expiry of the said period of 60 days if he is satisfied that the application could not be submitted in time for the sufficient cause.

Protection of action taken in good faith

9. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rule made thereunder.

Powers to make rules

10. The State Government may, by notification in the *Gazette*, make rules for carrying out the provisions of this Act.

Powers of remove difficulties

11. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may by order published in the *Gazette*, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty :

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) The provisions made by any order under sub-section (1) shall have effect as if enacted in this Act and any such order may be made so as to be retrospective to any date not earlier than the date of commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall as soon as may be after it is made, be laid before both houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

Repeal and saving

12. (1) The Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhyadesh, 2011 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 1 of 2011

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

For the delivery of Public services providing by various departments of the Uttar Pradesh Government generally no time-limit was fixed and neither the competent officers for delivery of such services within stipulated time-limit were properly designated nor their responsibilities were fixed, due to which the people of the State were facing difficulties. It was, therefore, decided to make a law to provide for the delivery of services to the people of the State within stipulated time-limit and for matters connected therewith or incidental thereto.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhyadesh, 2011 (U.P. Ordinance no. 1 of 2011) was promulgated by the Governor on January 13, 2011.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

K.K. SHARMA,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1235 राजपत्र–(हि०)–2011–(2522)–597+2 प्रतियाँ, (कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 191 सा० विधायी–2011–(2523)–850 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।